न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– **श्री सुनील कुमार-I (RAS)**
राजस्व वाद संख्या :– **150/2022** GCMS 2022/300

वादीगण :–

1. कुलदीपसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत निवासी कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन
2. वन्दना पुत्री अमरसिंह जाति राजपूत निवासी कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन राज.

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. कुन्दनमल पुत्र शिवबक्ष जाति रैगर
2. शंकरलाल पुत्र शिवबक्ष जाति रैगर फौत के कायम मुकाम :–
   2/1– यशपाल पुत्र शंकरलाल
   2/2– विशाखा पुत्री शंकरलाल
   2/3– श्रवणी देवी पत्नि शंकरलाल जाति रैगर निवासीगण कुचामनसिटी
3. कमला पुत्री नारायणराम जाति मेहरा
4. कालूराम पुत्र नारायणराम जाति मेहरा
5. कौशल्या पुत्री नारायणराम जाति मेहरा
6. बंशीराम पुत्र नारायणराम जाति मेहरा
7. बालूराम पुत्र नारायणराम जाति मेहरा
8. सन्तोष पुत्री नारायणराम जाति मेहरा निवासीयान कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन
9. कमला पत्नि बाबूलाल जाति मेहरा निवासी कुम्हारो का मौहल्ला, बजरंग काटा के पास, सीकर जिला सीकर
10. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)

दावा– इस्तकरार हक भू–विभाजन अन्तर्गत धारा 88, 53 राज. टिनेन्सी एक्ट 1955

उपस्थित :– श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादीगण की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :– 21/11/2024

वकील वादी ने बहस कर कथन किया कि वाद पत्र में प्राथमिक डिक्री की पालना रिपोर्ट तहसीलदार कुचामन ने पत्रांक/भू.अ./2024/2186 दिनॉक 04.10.2024 द्वारा मौका रिपोर्ट (बंटवारा प्रस्ताव) दिनॉक 09.09.2024 को तैयार की गई। जो न्यायालय में प्राप्त होकर शामिल मिसल उपलब्ध है। बहस में वादी के अधिवक्ता ने बताया है कि माफिक बंटवारा नक्शा के अन्तिम डिक्री फरमावें। वकील वादी की बहस पर एवं वाद पत्र के संलग्न दिनांक 30.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2024.12.13 11:38:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

08.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार कुचामनसिटी से बंटवारा स्कीम मंगवाई गई। नजरी नक्शा निम्न प्रकार से है :–

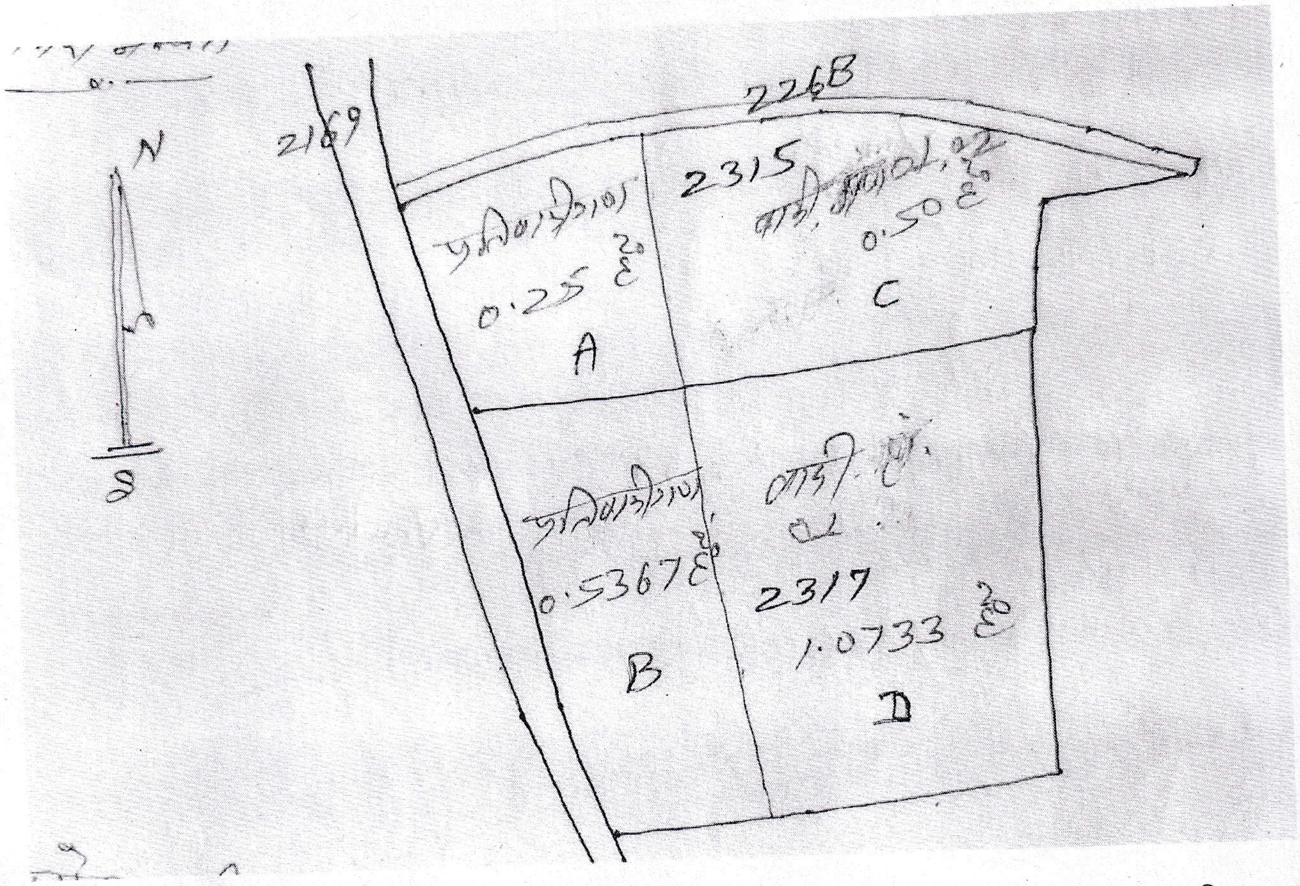

तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम प्रस्तुत कर कथन किया है कि मौके पर उपस्थित पक्षकारान व पड़ौसियो ने उपरोक्त नजरी नक्शा अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त होना बताया है, उपरोक्त नजरी नक्शा अनुसार मार्क A व B पर (रकबा 0.25 हैक्टर एवं 0.5367 हैक्टर) पर प्रतिवादीगण 1 ता 9 हिस्सा जमाबंदी अनुसार का तथा मार्क C रकबा 0.50 हैक्टर वादी सं. 1 व 2 व मार्क बिन्दू D हिस्सा 1.0733 हैक्टर पर वादीगण सं. 2 का कब्जा होना बताया गया है। उपरोक्तानुसार ही पक्षकारान जोत विभाजन करवाना चाहते पक्षकार का कब्जा काश्त नजरी नक्शा [illegible] है। वादी अधिवक्ता की अन्तिम डिक्री हेतु बहस का मनन एवं संलग्न प्राथमिक डिक्री व तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राप्त मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) का अवलोकन करने से न्यायालय का मत है कि खातेदारान/पक्षकार का वाद काबिल अन्तिम रूप से डिक्री पाया जाने से निम्न प्रकार अन्तिम रूप से डिक्री जारी की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2024.12.13 11:38:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

आदेश

वाद वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम कुचामनसिटी पटवार मण्डल कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 2315 रकबा 0.75 हैक्टर में अनुसार वादी संख्या 1 को 1/3 अर्थात 0.25 हैक्टर एवं वादी सं. 2 को 1/3 हिस्सा अर्थात 0.25 हैक्टर C स्थान पर, खसरा नम्बर 2317 रकबा 1.61 हैक्टर में मार्क D स्थान पर हिस्सा 1.0733 हैक्टर वादी सं. 1 को तथा खसरा नम्बर 2315 एवं 2317 में A व B पर (रकबा 0.25 हैक्टर एवं 0.5367 हैक्टर) पर प्रतिवादीगण 1 ता 9 हिस्सा जमाबंदी अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनॉक 09.09.2024 निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा पर देय स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 21/11/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (डीडवाना-कुचामन)
सत्यमेव जयते

(सुनील कुमार, RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2024.12.13 11:38:35 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला–डीडवाना–कुचामन (राज.)

बइजलास : श्री सुनील कुमार-I (RAS)

राजस्व वाद संख्या :– 150 / 2022 GCMS 2022/300

वादीगण :–

1. कुलदीपसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत निवासी कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन
2. वन्दना पुत्री अमरसिंह जाति राजपूत निवासी कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन राज.

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. कुन्दनमल पुत्र शिवबक्ष जाति रैगर
2. शंकरलाल पुत्र शिवबक्ष जाति रैगर फौत के कायम मुकाम :–
   2/1– यशपाल पुत्र शंकरलाल
   2/2– विशाखा पुत्री शंकरलाल
   2/3– श्रवणी देवी पत्नि शंकरलाल जाति रैगर निवासीगण कुचामनसिटी
3. कमला पुत्री नारायणराम जाति मेहरा
4. कालूराम पुत्र नारायणराम जाति मेहरा
5. कौशल्या पुत्री नारायणराम जाति मेहरा
6. बंशीराम पुत्र नारायणराम जाति मेहरा
7. बालूराम पुत्र नारायणराम जाति मेहरा
8. सन्तोष पुत्री नारायणराम जाति मेहरा निवासीयान कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन
9. कमला पत्नि बाबूलाल जाति मेहरा निवासी कुम्हारो का मौहल्ला, बजरंग काटा के पास, सीकर जिला सीकर
10. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)

दावा– इस्तकरार हक भू–विभाजन अन्तर्गत धारा 88, 53 राज. टिनेन्सी एक्ट 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता हाजिरी............. मिनजानिब मुदई रू–बरू .... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **वाद वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम कुचामनसिटी पटवार मण्डल कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 2315 रकबा 0.75 हैक्टर में अनुसार वादी संख्या 1 को 1/3 अर्थात 0.25 हैक्टर एवं वादी सं. 2 को 1/3 हिस्सा अर्थात 0. 25 हैक्टर C स्थान पर, खसरा नम्बर 2317 रकबा 1.61 हैक्टर में मार्क D स्थान पर हिस्सा 1.0733 हैक्टर वादी सं. 1 को तथा खसरा नम्बर 2315 एवं 2317 में A व B पर (रकबा 0.25 हैक्टर एवं 0.5367 हैक्टर) पर प्रतिवादीगण 1 ता 9 हिस्सा जमाबंदी अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनॉक 09.09.2024 निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा पर देय स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।**

निज .... मुबलिग .... बाबत...................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद भारह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 21 माह 11 सन् 2024 को जारी की गई।

दस्तखत.......................................

ओहदा.......................................

(मुहर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प वकालात नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकिल			महन्ताना वकिल		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फिस कमिश्नर			फिस कमिश्नर		
बबत इजराय हुक्मनामा			बबत इजराय हुक्मनामा		
मीजान			मुतफर्रिक		
			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2024.12.13 11:38:35 IST
Reason: SelfAttested

नोट: इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी कुचामन

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला (डीडवाना–कुचामन) राज.

क्रमांक / कोर्ट / 2024 / 299

दिनॉकः– 25/11/2024

प्रेषित :– 1. तहसीलदार, कुचामनसिटी

विषय :– राजस्व वाद सं. 150 / 2022 **GCMS 2022/300** कुलदीपसिंह बनाम कुन्दनमल वगैरह में पारित अन्तिम डिक्री आदेश की पालना बाबत।

–x– x–x–x –

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय के राजस्व वाद सं. 150 / 2022 **GCMS 2022/300** कुलदीपसिंह बनाम कुन्दनमल वगैरह में पारित अन्तिम डिक्री आदेश की पालना बाबत प्रमाणित प्रति भिजवाई जा रही है। राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर नक्शे में तरमीम करते हुए पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

सलंग्नः–उपरोक्तानुसार।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (डीडवाना–कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2024.12.13 11:38:35 IST
Reason: SelfAttested